प्रेस नोट दिनांक- 20.08.2026

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत शातिर अपराधी को किया गया जिलाबदर-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 19.08.2026 को जिला मजिस्ट्रेट मऊ महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2025, वाद सं0- 467/2026 सरकार बनाम दिलशाद उर्फ मोनू, अंतर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियुक्त दिलशाद उर्फ मोनू पुत्र इश्तेयाक उर्फ गामा निवासी पठान टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 40 वर्ष को 06 माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित/ जिलाबदर की कार्यवाही किया गया।

***जिला बदर अभियुक्त का विवरण*-**

1.दिलशाद उर्फ मोनू पुत्र इश्तेयाक उर्फ गामा निवासी पठान टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

***आपराधिक इतिहास*-**

1.मु0अ0सं0 381/2018 धारा 147/323/336/427/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली मऊ।
2.मु0अ0सं0 428/2019 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली मऊ।
3.मु0अ0सं0 371/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली मऊ।
4.मु0अ0सं0 13/2024 धारा 411/414 भादवि व 11(1)(D) पशु क्रूरता अधि0 थाना कोतवाली मऊ।
5.मु0अ0सं0 832/2006 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 20.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 33 टीम गठित कर जनपद के 33 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1420 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 384 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 03 वाहनों की सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1. थाना रामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त विवेक पुत्र राजपति निवासी- गोपालपुर निस्फी थाना रामपुर जनपद मऊ व 2. श्रीभागवत पुत्र राजपति निवासी- गोपालपुर निस्फी थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 13,282-/ (तेरह हजार दो सौ बयासी रूपया) पीडित को वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 20.08.2026 को यूपीआई के माध्यम से पीड़ित के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 13,282-/ (तेरह हजार दो सौ बयासी रूपया) साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

***थानावार विवरण*-**

1.थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदिका माधुरी दूबे निवासी हनुमान नगर भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ कुल धनराशि – 13,282-/ रूपया वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।